

8 प्राची व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
 उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
 5/5/17 केम्प कोर्ट में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
 है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया
 जाता है पक्षकारान दिनांक 29/5/17 को
 केम्प कोर्ट/लोक अदालत समक्ष उपस्थित रहें।

ए.सी.इ.एम.(FT)
 जोधपुर

अतिरिक्त
 चकरी/एम

29/5/17 भजाननी आज केम्प कोर्ट 0110

भजाननी
 सुरेपच
 ग्राम पंचायत, खाखरीया
 प.स. मण्डार (जोधपुर)

पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा 29/5/17 को
 अ.प.स.स. उधारित। प्रकटा के माध्यम से पट्टवारी
 एवं अ.प.स.स. के अंतर्गत स्थित भू-आधिकार
 की वृत्तान्त लिखे गए तथा विवाह रूचि
 की संबंधित पूर्व की आसक्तियों का अन्त
 लोकाय किया गया। अन्तर्गत दस्तावेजों को
 अन्तर्गत किया गया एवं प्राचीण एवं अ.प.स.स.
 के कर्मचारियों द्वारा विवाह रूचि पर वर्तमान
 में अन्तर्गत दस्तावेजों निशुद्ध रूचि से
 संबंधित धारा 88, 188 R.T.A. के अन्तर्गत
 एक वाद एवं न्यायालय में विचारार्थाने
 प्रकार के प्रकटाकरण द्वारा विवाह रूचि
 पर न्यायिकता एवं वाद यथास्थिति बनाये
 रखने का आदेश प्रकटा करने का अन्तर्गत
 किया।



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जोधपुर

P. 70)

तारीख
सुम

हुम या कार्यवाही मय इंगिशियल्स जज

मंगलवार
29/5/17

आज न्यायदिवस में एवं मॉर्निंग
की वर्तमान स्थिति को देखते हुए
दोनों पक्षों को लाफेसला मुल गण
मॉर्निंग को एवं अमान्य रेकॉर्ड की यथा-
स्थिति बन्नामे व्यवसाय हेतु प्रावृत्त किया
जाता है। दोनों ही पक्ष विचारानुसार
अपनी की जिम्मेदारी को सु-भाव का ब्यवहार
दस्तावेज एवं शर्त-शर्त नहीं करेंगे।
अगली सुधार-फैलन लेकर मध्य
की कार्य कोकर शामिल होकर है।

[Signature]
29/5/17

(म) ए. डी. प्र
उपजि

सहायक कलक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर